(37)

**माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. (केम्प उज्जैन)**

PBR/निगरानी/देवास/भू.रा/2018/1638

प्र. क्र. / 2018 ~~अपील~~

1. श्रीमती प्रियंका पति स्व. हरीओम उपाध्याय, निवासी सुरेन्द्र गार्डन, बाग मुगलिया, होशंगाबाद रोड़ भोपाल

2. वेदांत पिता स्व. हरीओम उपाध्याय, निवासी सुरेन्द्र गार्डन, बाग मुगलिया, होशंगाबाद रोड़ भोपाल

3. छतरसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी ग्राम बिजवाड़ फाटा, तह. कन्नोद जिला देवास ......... निगरानीकर्ता

आवेदन अधिवक्ता श्री किशोर सिंह भदोरिया द्वारा आज कैम्प उज्जैन पर प्रस्तुत) 24/2/18

विरूद्ध

1. गजेन्द्र उपाध्याय पिता स्व. प्रेमनारायण जी उपाध्याय, आयु 44 वर्ष, धंधा शासकीय शिक्षक, निवासी ग्राम बिजवाड़ फाटा, तह. कन्नोद जिला देवास

2. पटवारी हल्का नम्बर 2 ग्राम बिजवाड़ फाटा, तह. कन्नोद जिला देवास

3. अनुविभागीय अधिकारी कन्नोद जिला देवास म.प्र. ........... प्रत्यर्थी

## *निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता*

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण की और से अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 600 / अपील / 2016–17 के आदेश दिनांक 03 / 01 / 2018 से असंतुष्ट होकर अपील श्रीमान के समक्षं प्रस्तुत की गई है।

### *प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य*

1. यह कि, प्रार्थी निगरानीकर्तागण के विरूद्ध प्रत्यर्थी क्र. 1 ने

निरंतर .....................2

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/1638

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29/8/18 | प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 600/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा एसडीओ के समक्ष ग्राम पंचायत बिजवाड़ द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.08.2005 के विरुद्ध अपील पेश की गई, जिसमें यह बताया गया कि ग्राम पंचायत बिजवाड़ द्वारा अनुचित तरीके से सांठ गांठ कर दिनांक 15.08.2005 को अधिकार विहीन ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव बनाकर अवैध रूप से आवेदक क्र. 2 के पक्ष में नामांतरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद जिला देवास द्वारा उक्त अपील में आवेदक तथा अनावेदक के मध्य स्वत्व का विवाद होने के कारण अनावेदक की अपील निरस्त की गई, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 03.01.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।<br>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रतिनिगरानीकर्ता व उसके भाई डॉ. अशोक ने माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. 6874 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर एवं शासन के विरुद्ध रिट पिटीशन दायर की थी जो दिनांक 01.03.2016 को निरस्त हुई है एवं उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार कार्यवाही की है, उक्त आदेश में स्टेट ऑफ एम.पी. प्रिंसीपल | |

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | सेकेट्री भोपाल को पक्षकार बनाये जाने से म.प्र. शासन आवश्यक पक्षकार हो गया है, इस कारण इस फौरम पर इस स्थिति में प्रतिनिगरानीकर्ता कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि प्रतिनिगरानीकर्ता उसे पिता, भाई, बहन आदि सभी परिवार के सदस्यों द्वारा विधवा प्रियंका उपाध्याय के विरुद्ध उसके पति के हक को नष्ट करने के लिए राजस्व न्यायालयों, सिविल न्यायालयों में, सेंशन न्ययालयों में, उच्च न्यायालय में कार्यवाही कर चुके हैं। सभी न्यायालयों में प्रतिनिगरानीकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ है। प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की कि सिविल न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है तथा प्रतिनिगरानीकर्ता गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालयों की अवमानना में राजस्व न्यायालयों को भी सहभागी बनाना चाहता है। प्रतिनिगरानीकर्ता का किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक बिन्दु निर्णय से अछूता नहीं रहा है। सिविल न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए सभी बिन्दुओं एवं तात्विक बिन्दुओं का निराकरण न्यायालय से हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रतिनिगरानीकर्ता किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।<br>उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह अविवादित है कि प्रतिनिगरानीकर्ता क्र. 3 ने निगरानीकर्ता क्र. 1 से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर क्रय किया है एवं विधिवत विक्रेता की सहमति से क्रेता के पक्ष में नामांतरण हुआ है। इस प्रकार सेलडीड के पश्चात प्रतिनिगरानीकर्ता ने या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक विक्रय-पत्र को अपास्त करवाने एवं शून्य घोषित करवाने का कोई दावा नहीं लगाया है इस कारण भी प्रतिनिगरानीकर्ता की आपत्ति गैर-कानूनी है।<br>4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त के निर्देशानुसार म.प्र. शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7-94/सात/समन्वय दिनांक 21.10.94 द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 24(1) के तहत पंचायत राज अधिनियम | |

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/1638

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | 1993 (क्र. 1 सन 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम पंचायतों को धारा 110 के अधीन अविवादित नामांतरण तथा धारा- 178 के तहत अविवादित बंटवारा के मामलों को निराकृत करने के अधिकार दिए गए थे, ना कि विवादित भूमि के नामांतरण के अधिकार दिए गए थे। विवादित भूमि के नामांतरण का अधिकार तहसील न्यायालय को है ना कि ग्राम पंचायत को।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि ग्राम पंचायत विजवाड़ फाटा द्वारा दिनांक 15.08.2005 को ग्राम सभा आयोजित कर ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 पारित किया गया जिसमें हितबद्ध व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई। संपूर्ण भूमि वर्ष 2004 से ही न्यायालय में विवादित रही है, पक्षकार या अभिलिखित हितग्राही, सह खातेदार, संयुक्त खातेदार निकटतर वारिस, हित-प्रतिनिधि, वैध प्रतिनिधि आदि को पूर्व सूचना दिए बिना और उसी सुनवाई किए बना इश्तार विधिवत जारी किए बिना हकदार की अनदेखी की कार्यवाही अवैध, व्यर्थ है, इसके पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 29 एवं 31 में उक्त भूमि का नामांतरण कर अपनी सील व हस्ताक्षर दिनांक 16.08.2005 को कर निर्मित की गई है, जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को विवादित भूमि के संबंध में नामांतरण के अधिकार नहीं दिए गए थे फिर भी राजस्व् निरीक्षक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर कूटरचित नामांतरण पंजी जारी की गई।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदक गजेन्द्र पिता स्व. प्रेमनारायण उपाध्याय जो कि पूर्णत: विकलांग होकर उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि उसे उसके पिता स्व. प्रेमनारायण के द्वारा वसीयतनामा अनुसार वैधानिक रूप से प्राप्त हुई थी इसके पश्चात गजेन्द्र के द्वारा कभी भी उक्त भूमि को | |

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

किसी भी व्यक्ति, निकाय, संस्था को विक्रय करना या किसी भी प्रकार से भार, बोझ, गिरवी, बंधक नहीं किया गया है। इसके पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे नं. 289 रकवा 1.32 लगान 3.77 एवं 316 रकवा 0.16 लगान 0.62 को मृतक नामांतरण बताकर तथा अनावेदक गजेन्द्र को विक्रेता बताकर उसका नाम कम करते हुए गुल खाते में आवेदक क्र. 3 छतर सिंह पिता श्री भैरव सिंह ने उसके पुत्र जो कि सरपंच रहा, होने के प्रभाव से गुल खाते में प्रियंका व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज करा दिया व अवैध व कूटरचित पंजी क्रमांक 23 एवं 31 दिनांक 16.08.2005 निर्मित की है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनावेदक क्र. 1 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.08.2005 के विरुद्ध दिनांक 24.08.2016 को अर्थात 10 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर कि उभयपक्षों के मध्य स्वत्व का विवाद है तथा पंजीकृत विक्रयनामा भी निष्पादित है प्रकरण सिविल प्रकृति का होने से प्रचलनयोग्य होना न मानते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया है, जिसे अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि उभयपक्ष के मध्य स्वत्व के संबंध में सिविल प्रकरण विचाराधीन है। स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ-साथ राजस्व न्यायालय पर भी बंधनकारी होगा। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई थी, परंतु अपर आयुक्त द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए दोनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य बिन्दुओं

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/1638

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | का प्रश्न है। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उन पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जावेगी।<br><br>उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है।<br><br>उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो।<br><br>(एम.गोपाल रेड्डी)<br>प्रशासकीय सदस्य | |